

**SAMPURNANAND
SANSKRIT UNIVERSITY
VARANASI-221002**



RESEARCH POLICY



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
विद्यावारिधि उपाधि अध्यादेश २०२४

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप संख्या कु०स० ७४८१/२०२४ दिनांक ०६/११/२०२४ के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ५२ की उपधारा ३ के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की विद्यावारिधि (Ph.d.) उपाधि के लिए पूर्व प्रवर्तित शोध अध्यादेश का निरसन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम २०२२ के समस्त उपबन्धों को स्वीकार किया जाता है। उक्त उपबन्धों की मूल भावना प्रभावित किये बिना इस विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुरूप निम्नांकित उपबन्ध स्थापित किया जाता है।

१.० लघु शीर्षक अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

१.१ इन विनियमों को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, २०२४ कहा जाएगा।

१.२ विश्वविद्यालय की शोध उपाधि का नाम 'विद्यावारिधि (पीएच.डी.)' होगा। इस उपाधि की स्पष्टता के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र में आंग्लभाषा में पीएच.डी (Doctor of Philosophy) लिखा जायेगा। प्रमाणपत्र में शोधशीर्षक और विषय का उल्लेख किया जायेगा। प्रमाणपत्र में यह भी उल्लिखित होगा कि विद्यावारिधि की उपाधि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, २०२२ के प्रावधानों के अनुरूप' प्रदान की जा रही है।

१.३ ये विनियम सत्र २०२४-२५ से प्रभावी होंगे।

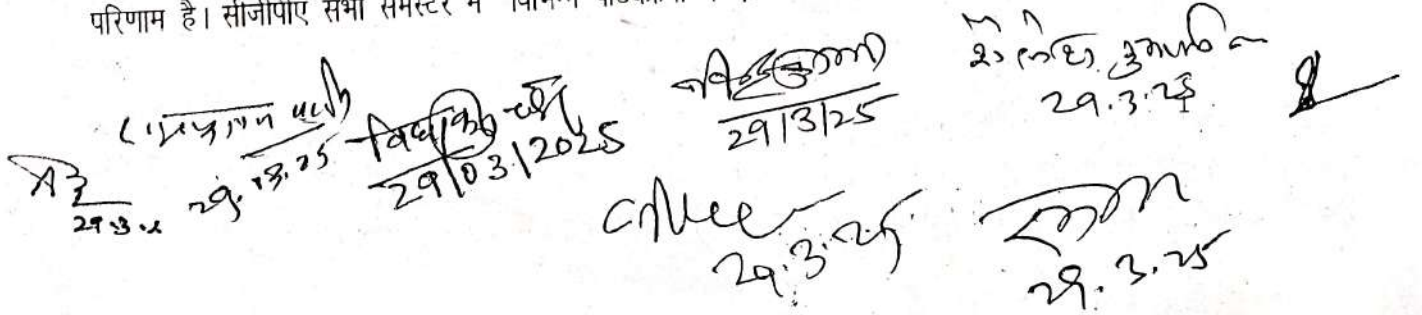
२.० परिभाषाएं

(१) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) है।

(ख) "अनुबंधक संकाय" का अर्थ है एक अंशकालिक या आकस्मिक प्रशिक्षक, लेकिन पूर्णकालिक संकाय सदस्य नहीं, जो एक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) "संचित ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचित प्रदर्शन का परिणाम है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा अर्जित कुल क्रेडिट अंकों तथा


29/3/25
29/3/25
29/3/25
29/3/25
29/3/25
29/3/25

सभी सेमेस्टर में सभी पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट के योग का अनुपात है। इसे दशमलव के दो स्थानों तक व्यक्त किया जाता है।

(घ) "क्रेडिट" का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन-क्रेडिट पाठ्यक्रम का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन व्याख्यान जिसमें प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान को एक क्रेडिट के रूप में गिना जा सकता है।

(ङ.) "महाविद्यालय" का अर्थ है उच्चतर शिक्षण और/या अनुसंधान में संलग्न एक संस्था, जिसे या तो किसी विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया है या इससे संबद्ध है।

(च) "आयोग" का अर्थ यूजीसी अधिनियम १९५६ की धारा ४ के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

(छ) "पाठ्यक्रम" का अर्थ उन विशिष्ट इकाइयों में से एक है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को शामिल करती हैं।

(ज) "कोर्स वर्क" का अर्थ है स्कूल/विभाग/केंद्र द्वारा पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी के अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम;

(झ) "उपाधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा २२ (३) के प्रावधानों के अनुसार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की गई उपाधि;

(ञ) "बाह्य परीक्षक" का अर्थ है एक शिक्षाविद/छात्रवृत्ति प्राप्त शोधकर्ता जो शोधकार्य प्रकाशित होने के साथ-साथ उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं है जहां पीएच.डी. शोधार्थी ने पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है।

(ट) "विदेशी शैक्षिक संस्थान" का अभिप्राय- (i) उस देश में विधिवत स्थापित या निगमित ऐसे संस्थान से है जो अपने देश में स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम पेश करता हो और (ii) जो पारंपरिक मुख्याभिमुख तरीके के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के कार्यक्रम(ओं) की पेशकश करता हो, ना कि ऑनलाइन मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम से।

(ठ) "ग्रेड प्वाइंट" का अर्थ है १०-बिंदु पैमाने पर प्रत्येक अक्षर ग्रेड को आवंटित संख्यात्मक भार

(ड) "ग्रेड/शोध पर्यवेक्षक" का अर्थ है उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त एक शिक्षाविद/शोधकर्ता जो पीएच.डी. शोधार्थी और उसके शोध की निगरानी करें।

निदेशक
29.03.25

निदेशक
29/03/25

निदेशक
29/3/25

निदेशक
29.3.25

29.3.25

29.3.25

(ढ) “उच्चतर शिक्षण संस्थान” का अर्थ इन विनियमों के विनियम १ के खंड २ के तहत विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थान है।

(ण) “अंतर्विषयक शोध” का अर्थ है दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा किया गया शोध।

(त) “मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम” का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं आनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, २०२० के तहत परिभाषित है;

(थ) ऑनलाइन माध्यम का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञानार्जन माध्यम एवं आनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, २०२० के तहत परिभाषित है।

(द) “साहित्यिक चोरी” का अर्थ है किसी और के कार्य या विचार को स्वयं के मूल कार्य के रूप में प्रकाशित कराना।

(ध) “कार्यक्रम” का अर्थ अधिनियम की धारा २२ की उप-धारा (३) के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपाधि के लिए अपनाये जाने वाला उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम है;।

(न) “विवरण-पुस्तिका” का अर्थ है कोई भी प्रकाशन, चाहे वह प्रिंट में हो या अन्यथा, उच्चतर शिक्षण संस्थान और कार्यक्रमों से संबंधित सर्वसाधारण जनता को (ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक हो) निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी किया गया हो।

(प) “शोध प्रस्ताव” का अर्थ है प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा देने वाला एक संक्षिप्त आलेख जो पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ पीएच.डी. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;।

(फ) “विश्वविद्यालय” का अर्थ एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम, या एक राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित एक उच्चतर शिक्षण संस्थान है, और इसमें अधिनियम की धारा ३ के तहत एक मानित विश्वविद्यालय के रूप में माना जाने वाला उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल होगा।

(२) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन अधिनियम में परिभाषित और इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं, उनका अर्थ क्रमशः उस अधिनियम में दिया जाएगा।

पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड-निम्नवत अभ्यर्थी पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

(१) वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूरा कर लिया है।-

लिखा गया 24.03.25
विषय 29/03/2025
29/3/25
24.3.25

(i) 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 9-वर्ष/2-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3-वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय/4-सेमेस्टर स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिंदु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंकों अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

वर्तते, 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय-समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2) एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

8- कार्यक्रम की अवधि-

(9) पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

21 मई 2025
29.03.25
29/03/2025
29.3.25
29.3.25
29.3.25

(3) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएच.डी. कार्यक्रम चलाने के पात्र है, वे:
i. दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय/विषय-वार संवितरण, दाखिले का मानदंड, दाखिले की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों के लिए अन्य सभी संगत जानकारी को निर्दिष्ट करते हुए संस्थान की वेबसाइट पर एक विवरण-पुस्तिका को पहले से ही सूचित करेंगे;

ii. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति का यथास्थिति अनुपालन करें।

(4) उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. पर्यवेक्षकों की एक सूची का रख-रखाव (पर्यवेक्षक का नाम, उसका पदनाम और विभाग/स्कूल/केंद्र निर्दिष्ट करते हुए), पीएच.डी. के लिए पंजीकृत छात्रों के विवरण के साथ (पंजीकृत पीएच.डी. छात्र का नाम, उनके शोध का विषय और दाखिले की तारीख का उल्लेख करते हुए) अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और हर शैक्षणिक वर्ष में इस सूची को अद्यतन करेंगे।

६. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण-शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या, आदि।

(1) उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जिन्होंने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशित किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उन्हें विश्वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत हैं। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हो सकते हैं, पर वहां वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर पीएच.डी. की एक उपाधि एक विश्वविद्यालय द्वारा एक ऐसे संकाय सदस्य की देखरेख में प्रदान की जाती है जो उस विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों का कर्मचारी नहीं है, तो इसे इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी. शोधार्थी जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उपरोक्त आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं। बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई पीयर-रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाएँ नहीं हैं, या केवल सीमित संख्या में हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान लिखित रूप में उचित कारण दर्ज करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता के लिए उपरोक्त शर्त में छूट दे सकता है। एक ही विभाग या एक ही संस्थान के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों के सह-पर्यवेक्षकों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है। अनुबंध संकाय सदस्य (एडजुंक्ट फैकल्टी) शोध पर्यवेक्षक नहीं हो सकते, वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

(2) अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, विभाग/स्कूल/केंद्र/

महोदय
29/03/25

विद्यापीठ
29/03/2025

महोदय

महोदय
29/03/25

महोदय
29.3.25

2

(२) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के सांविधि/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (२) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बशर्ते, कि पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (८) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले) को दो (२) वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामले में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (१०) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(३) महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में २४० दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

५. प्रवेश की प्रक्रिया-

(१) प्रवेश, यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।

(२) पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है-
(क) उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी-नेट/यूजीसी-सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। और/या

(ख) उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में ५० प्रतिशत प्रश्न शोध पद्धति तथा ५० प्रतिशत विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे।
(ग) प्रवेश परीक्षा में ५० प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

(घ) आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में ५ प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(ङ.) उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते हैं।

(च) बशर्ते कि, उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए, प्रवेश परीक्षा के लिए ७० प्रतिशत और साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए ३० प्रतिशत का महत्व दिया जाएगा।

1. मंत्रालय मुद्रित
29.03.25
विचारित
29/03/25
महत्व
29/3/25
29.3.25

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(3) किसी एक समय में एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर क्रमशः आठ (८) /छह (६)/चार (४) पीएच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

(4) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों के अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान के पूर्व में किए गए शोध कार्य के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

(5) ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि, हालाँकि, ऐसे संकाय अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह-पर्यवेक्षक के रूप में ७० वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते हैं उसके बाद नहीं।

७. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश-

(1) प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी. शोधार्थियों की अनुमति संख्या के ऊपर दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है, जैसा कि ऊपर खंड ६.३ में निर्दिष्ट है।

(2) उच्चतर शिक्षण संस्थान संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिले के लिए अपनी चयन प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं।

८. किसी भी समय, पीएच.डी. छात्रों की कुल संख्या, एक संकाय सदस्य के अधीन या तो पर्यवेक्षक या सह-पर्यवेक्षक के रूप में छात्रों की संख्या खंड ६.३ और खंड ७.१ में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

९- कोर्स वर्क- क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूरा करनेके लिए न्यूनतम मानदण्ड आदि।

(1) पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कम से कम १२ क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें "शोध और प्रकाशन नैतिकता" कोर्स, जैसा कि यूजीसी द्वारा डी.ओ. मि. सं. १-१/२०१८ (जर्नल/केयर) २०१६ में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती है।

(2) सभी पीएच.डी. शोधार्थी को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अध्ययन के विषय की परवाह किए बिना अपने चुने हुए पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी. शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह ४-६ घंटे शिक्षण/शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।

(3) एक पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंधन (थीसिस) जमा

विद्यापीठ
29.03.25
विद्यापीठ
29/03/2025
A63000
29/3/25
29.3.25
2

करने हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम ५५ प्रतिशत अंक या यूजीसी १०-पाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

१०. शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य-

(1) प्रत्येक पीएच.डी. छात्र के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी या समकक्ष निकाय, जैसा कि संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान के कानूनों/अध्यादेशों में परिभाषित किया गया है। पीएच.डी. शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक इस समिति के संयोजक होंगे और इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:

i. शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

ii. शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रम (ओं) की पहचान कराना।

iii. पीएच.डी. शोधार्थी के शोध कार्य की प्रगति की आवधिक समीक्षा और प्रगति में सहायता करना।

(2) प्रत्येक सेमेस्टर में एक बार पीएच.डी. शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट जमा करेंगे और प्रस्तुति देंगे। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अपनी सिफारिशें संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगी। ऐसी सिफारिशों की एक प्रति पीएच.डी. शोधार्थी को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि पीएच.डी. शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि पीएच.डी. शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में विफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ट कारण दर्ज कर पीएच.डी. शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

11. उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां न्यूनतम मानदण्ड/ क्रेडिट, आदि-

(1) पाठ्यक्रम का काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने और उपरोक्त विनियम ६ के खंड (३) में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, पीएच.डी. शोधार्थी को शोध कार्य करने और एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(2) शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व, पीएच.डी. शोधार्थी संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्य तथा अन्य शोधार्थी/विद्यार्थी उपस्थित होंगे।

(3) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के पास शोध कार्य में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए सुविक्रिय साफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र का होना आवश्यक है और शोध सत्यनिष्ठा पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के निमित्त सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा।

(4) पीएच.डी. शोधार्थी मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ (क) शोधार्थी से एक वचनवद्धता प्राप्त करना होगा जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई साहित्यिक चोरी

29.03.25

29.3.25

29/03/25

29/3/25

29.3.25

29.3.25

(5) किसी भी पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. शोध प्रबंध/थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो ऐसे बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान में नियोजित नहीं हो। ऐसे परीक्षक वे शिक्षाविद होंगे जिनको संबंधित विषय क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन की सुकीर्ति प्राप्त हो। यथासंभव, बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा में बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक शामिल होगा और यह आनलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा में शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण/संकाय सदस्य/शोध अन्य शोधार्थियों तथा छात्र भाग ले सकते हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान इस विनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त नियम/अध्यादेश तैयार कर सकते हैं।

(7) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएचडी के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया वाइवा-वॉयस परिणाम की घोषणा सहित पीएच.डी. थीसिस, थीसिस जमा करने की तारीख से छह (६) महीने की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

(1) वे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो ४-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और/या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं, पीएच.डी. कार्यक्रम चला सकते हैं। बशर्ते, वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों, अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक प्रशासनिक और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हों।

i. एक महाविद्यालय में कम से कम दो संकाय सदस्य या शोध संस्थान में दो पीएच.डी. उपाधि धारक वैज्ञानिक होने चाहिए।

~~29/03/25~~

25
A 2913.15

9
29.3.25
29.3.25

१३. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी.-

(1) अंशकालिक पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों।

(2) संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा जहां अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि:

i. लम्पीद्वार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।

ii. उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

iii. यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

(3) वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद, कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का शोध संस्थान दूरस्थ और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

98. एम.फिल. उपाधि की स्वीकृति-उच्चतर शिक्षण संस्थान एम.फिल.(मास्टर ऑफ फिलॉसफी) उपाधि प्रदान नहीं करेंगे।

9५. अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करना-उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व उपाधि प्रदान करने वाला उच्चतर शिक्षा संस्थान इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उपाधि, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

१६. इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना-इन विनियमों के अधिनियमन से पहले शुरू होने वाले एम.फिल उपाधि कार्यक्रम इन विनियमों की किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए ११ जुलाई, २००६ को अथवा उसके पश्चात, इन विनियमों की अधिसूचना तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना, यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, २००६ अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, २०१६, जैसा भी मामला हो इसके अलावा) पहले से पंजीकृत एवं पीएच.डी. कर रहे उम्मीदवारों को उपाधि प्रदान करने के लिए इन विनियमों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम २०१६ के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। इन विनियमों के अधिनियमन से पहले प्रारंभ एम.फिल उपाधि कार्यक्रम का इन विनियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

१७. इन्फिलबनेट के साथ डिपॉजिटरी-पीएच.डी. उपाधि(यों) को अवाई करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन के पश्चात् तथा पीएच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की धोबणा से पूर्व, संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान पीएच.डी. शोध प्रबंधन की इलेक्ट्रानिक प्रति इन्फिलबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी उच्चतर और अनुसंधान संस्थानों को यह सुलभ हो।

लिखाता जाय
२१.०३.२५

29/03/25

2913125

2. மாண்புமிகு
10
29.3.23

23/3/21

AR
29.3.25

4



10

29.3.23

१८. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त नियमों के संबंध में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित- नियम विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू स्वीकार किये जायेंगे।

१८.१ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी विद्यावारिधि नियमावली 2024 के किसी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में कुलपति की संस्तुति के उपरान्त स्पष्टीकरण के लिये विद्यापरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

१८.२ विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा इस विनियम के प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

१९. पुनः पंजीकरण- पुनः पंजीकरण के लिए शोधार्थी द्वारा दिए गए कारण एवं उनके शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष की संस्तुति के बाद अनुसन्धान उपाधि समिति शोधकार्य के परीक्षणोपरान्त अनुमति प्रदान कर सकता है। पुनः पंजीकरण करवाने की अवधि दो वर्ष की होगी। सम्बन्धित शोध छात्र को पुनः पंजीकरण की अवधि में शोध प्रबन्ध जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।

२०. शोधप्रबन्ध की भाषा- शोधप्रबन्ध की भाषा सामान्यतः संस्कृत, पाली अथवा प्राकृत होगी। विशेष परिस्थिति में अनुसन्धान-उपाधि-समिति हिन्दी या भोट भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। भाषाविज्ञान, सामाजिक विज्ञान विभाग तथा शिक्षाशास्त्र के शोधप्रबन्ध अनुसन्धान-उपाधि-समिति की अनुमति से हिन्दी भाषा में भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

२१. शोध समितियां- विद्यापरिषद् के निर्देशन में विश्वविद्यालय को विद्यावारिधि-उपाधि से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में इन विनियमों के सापेक्ष निम्नलिखित समितियां विश्वविद्यालय में कार्य करेंगी।

१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (Research Degree Committee of the University (RDUC).

२- विभागीय शोध समिति (Departmental Research Committee (DRC).

३- शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee (RAC).

२१.१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (RDUC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- कुलपति	अध्यक्ष
२- सम्बन्धित संकायाध्यक्ष-	सदस्य
३- निदेशक, अनुसन्धान	सदस्य

४- विभागाध्यक्ष

सदस्य

५- सम्बन्धित विषय में कुलपति द्वारा नियुक्त दो बाह्य विशेषज्ञ-

सदस्य

६- उपकुलसचिव, शैक्षिक

संयोजक

२१.२ विभागीय शोध समिति (DRC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- विभागाध्यक्ष-

अध्यक्ष

२- समस्त विभागीय आचार्य-

सदस्य

३- एक विभागीय सह-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)-

सदस्य

४- एक विभागीय सहायक-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)-

सदस्य

५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)-

सदस्य

२१.३ शोध सलाहकार समिति (RAC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- निदेशक, अनुसन्धान -

अध्यक्ष

२- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष-

सदस्य

३- समस्त विभागीय आचार्य-

सदस्य

४- कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय का एक बाह्य विशेषज्ञ-

सदस्य

५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)-

सदस्य

विशेष- किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों में संशोधन/ परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् को प्रेषित किया जा सकता है। कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

विभागाध्यक्ष
29.03.25

विभागाध्यक्ष
29/03/25

कुलपति, विश्वविद्यालय
29.3.25

उपकुलसचिव
29.3.25

उपकुलसचिव
29/3/25

उपकुलसचिव
29.3.25